

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग
19, हार्डिंग रोड, पटना।

आवश्यक सूचना

विज्ञापन सं०-06/2023, डेयरी फिल्ड ऑफिसर/डेयरी टेकनिकल ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक-18.07.2023 एवं दिनांक-19.07.2023 को आयोजित काउंसलिंग में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों का प्राप्तांक उनके नाम एवं रजिस्ट्रेशन नम्बर के साथ आयोग के वेबसाइट-www.btsc.bih.nic अथवा इस लिंक पर (<http://103.112.252.139/DFO>) आपत्ति दर्ज करने (यदि हो तो) हेतु डाला जा रहा है।

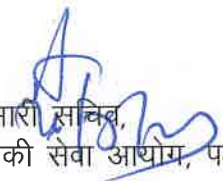
अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर, मोबाईल नम्बर एवं जन्म तिथि डालकर registered मोबाईल नम्बर पर प्राप्त OTP के माध्यम से Login कर दर्शायी गई सभी विवरणी यथा, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, कोटि, प्राप्तांक आदि देखकर संतुष्ट हो लें। किसी प्रकार का कोई त्रुटि होने पर अथवा प्राप्तांक से असंतुष्ट/असहमत होने पर अपना आपत्ति कारण सहित दिनांक-28.07.2023 से दिनांक-02.08.2023 को संध्या 06:00 बजे तक आयोग के वेबसाइट पर Raise Objection बटन पर Click करके दर्ज कर सकते हैं।

उक्त Online Objection के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम यथा ई-मेल/निबंधित डाक/कुरियर आदि से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

आपत्ति डालने के पूर्व अभ्यर्थीगण निम्नलिखित निदेशों को ध्यानपूर्वक समझ लें:-

1. विज्ञापन की कंडिका-01 के अनुसार अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता से संबंधित अर्हता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण अयोग्य किया गया है।
2. डेयरी फिल्ड ऑफिसर/डेयरी टेकनीकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत होने का कार्यानुभव प्रमाण-पत्र, जो निदेशक (गव्य), पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत नहीं होने के कारण कार्यानुभव का अंक नहीं दिया गया है।
3. संविदा/प्रतिनियुक्ति के आधार पर डेयरी फिल्ड ऑफिसर/डेयरी टेकनिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत नहीं रहने के कारण कार्यानुभव का अंक नहीं दिया गया है। किसी अन्य पद पर कार्यरत कर्मियों को कार्यानुभव का अंक विज्ञापन की कंडिका-3 नोट(ii) के अनुसार नहीं दिया गया है।
4. कार्यानुभव हेतु गणना की तिथि 03.05.2023 तक की गई है।
5. Online आवेदन में दावा किये गये कोटि के अनुसार अनिवार्य प्रमाण-पत्र यथा- जाति प्रमाण-पत्र (SC/ST हेतु), क्रिमीलेयर प्रमाण-पत्र (EBC/BC हेतु), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र (EWS हेतु) प्रस्तुत नहीं करने के कारण आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
6. Online आवेदन में अंकित आरक्षण कोटि से इतर कोटि का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
7. क्रिमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र/जाति प्रमाण-पत्र पति के नाम से होने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।

8. स्वतंत्रता सेनानी के नाती-नतिनी/पोता-पोती द्वारा संक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
 9. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
 10. विज्ञापन में वर्णित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा की अर्हता को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है।
- नोट:- 1. प्राप्त आपत्ति के पश्चात् सभी अभ्यर्थियों के अंको की पुनः जाँच की जाएगी एवं जाँचोपरांत मेधा सूची प्रकाशित की जा सकेगी।
2. संलग्न सूची मात्र अभ्यर्थियों के प्राप्तांको की जाँच हेतु अपलोड की गयी है। इसे चयन सूची अथवा मेधा सूची नहीं समझा जाय।


प्रभारी सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।